

फर्द अहकाम

वकील

बनाम जातिश कोर

नाम न्यायालय SD0211/19

केस संख्या 8/19

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30.9.19	<p>वकील जातिश कोर को न्यायाधीश की आज्ञा दी गयी है लेकिन कोर्टी उपस्थित नहीं है। कल: न्यायाधीश 11/10/19 को 9 बजे किन्तु 15 पक्षीय कार्यवाही काम में लाई जाती है। वास्तु कथन 1.2 डा. पत्र हेतु पत्रावली दिनांक 14.11.19 को भेजा है।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>
	14.11.19	<p>उभय पक्ष उपस्थित/अभिभावक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. सहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 2.12.19 को भेजा है।</p> <p style="text-align: right;">(राइटर)</p>
	13.12.19	<p>उभय पक्ष उपस्थित/अभिभावक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. सहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 23/11/19 को भेजा है।</p> <p style="text-align: right;">(राइटर)</p>
	27.1.20	<p>वकील जातिश कोर को वकील जातिश कोर की वराम हुकी वकील जातिश कोर ने अपनी वराम में जातिश कोर के वकील जातिश कोर को गोपनीयता में की भ्रम सिद्धि काफ़ी रखके हेतु निर्देश दिया/उभय पक्षीय का उभय पक्ष विना निमित्त मातृजी जातिश कोर के उभय पक्षीय के लिये हेतु वकील जातिश कोर की वराम लेता है। कल: इतनामात्रपक्ष ने आदेश दिनांक 23/1/20 को कल पाठ के निवारण तब वराम विना जाता है। पत्रावली भेजके हुआ गोपनीय न्याय लेवत होप वराम का के हेतु दिनांक है।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>

1
2